BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
O.A. NO. 462/2021

IN THE MATTER OF:
APPLICANT: Dashrath Singh Parihar

//VERSUS//

RESPONDENT: State of Madhya Pradesh & Ors.

INDEX

Sl.	Particulars	Annexure	Page No.
01	Compliance of the order dated 26/07/2022		1-5
02	Affidavit		6
03	District-wise Information In Tabular Form	**ANNEXURE RR-1**	7-13
04	Copy of the order dated 16/08/2022	**ANNEXURE RR-2**	14-15
05	Copy of the order dated 25/11/2022	**ANNEXURE RR-3**	16-17
06	Copy of the letter dated 30/11/2022	**ANNEXURE RR-4**	18
07	Copy of the letter dated 30/11/2022		19-20

BHOPAL (M.P.)
DATED: 06/12/2022

(SACHIN K. VERMA)
COUNSEL FOR STATE OF MP

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
O.A. NO. 462/2021

IN THE MATTER OF:
APPLICANT: Dashrath Singh Parihar

//VERSUS//

RESPONDENT: State of Madhya Pradesh & Ors.

COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 26/07/2022

The answering Respondent State of MP, most respectfully, submits as follows:-

1. The Applicant has filed the present original application under section 14 & 15 of the National Green Tribunal Act, 2010 raising its grievances pertaining to the to illegal stone mining in forest area of Mohangarh, Khairona Beet, Forest Division of District Shivpuri, Madhya Pradesh.

2. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 28/01/2021 had constituted joint committee consisting of State PCB, Mines & Geological Department, State of Madhya Pradesh, Regional Office of MoEF & CC at Bhopal, DFO Shivpuri (M.P.) and District Magistrate Shivpuri (M.P.) with a direction to submit the factual and action taken report in the matter.

3. In compliance to the directions so passed by the Hon'ble Tribunal the committee members have conducted the site inspection on 28/02/2022 and submitted its report on 21/04/2022. The conclusions and the suggestions of the Joint Committee are quoted below:-

   a. *It is evident from the site visit that illegal mining has been undertaken in the past at above said locations.*

(2)

b. *The forest department should undertake strict and effective measures to stop the illegal mining like dug trenches to isolate illegal mining sites, regular and surprise raids/checks conducted jointly by security personnel and law and other authorities, installation of checks posts at vulnerable points.*

c. *The forest department may be directed to restore/reclaimed the illegal mining area/dumps.*

4. The District-wise information pertaining to registration of cases of illegal mining for last 5 years in State of Madhya Pradesh along with their respective details with regard to cases of prosecution, conviction of offenders, imposition of penalty and environmental compensation, confiscation of vehicles, imposition of penalty and environmental compensation from the offenders. The District-wise information in tabular form is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1**

5. In furtherance of the observations of the joint committee Hon'ble Tribunal had passed certain direction vide its order dated 26/07/2022 which are quoted below:-

> *"In view of the observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to direct the Director, Mining and Geology Directorate, Madhya Pradesh, DFO and District Magistrate, Shivpuri to prepare an action plan for reclamation of illegally mined area and disposal of over burden by making its proper use for land filling as may be possible in the area concerned and to execute such action plan within a period of three months. The action plan shall also include appropriate afforestation and proper landscaping. Action Taken Report with copy of Action Plan and details of action taken for implementation thereof may be furnished within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of*

searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

6. In compliance to the directions of the Hon'ble Tribunal a committee was constituted vide order dated 16/08/2022 for preparation and submission of the action plan with regard to reclamation of illegally mined area and its disposal. The copy of the order dated 16/08/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-2**

7. Also, The Hon'ble Tribunal looking to the substantial number of cases of illegal mining in State of Madhya Pradesh the Hon'ble Tribunal vide its order dated 26/07/2022 has again constituted State Level Joint Committee consisting of Principal Secretary Government of MP, Department of Forest, Principal Secretary Government of MP, Department of Mineral Resources and Principal Secretary Government of MP, Department of Revenue and Director General of Police, Madhya Pradesh and further directed the committee to consider certain aspects. The relevant portion of the order is quoted below:-

> *"In view of high incidence of cases of illegal mining especially in natural resources rich area of Madhya Pradesh, we consider it appropriate to constitute a Joint Committee comprising of Principal Secretaries of Forest, Mineral Resources and Revenue Departments, Government of Madhya Pradesh and Director General of Police, Madhya Pradesh. The Joint Committee shall look into all relevant aspects including:*
>
> *a. As to how many cases of illegal mining have taken place in the State in the last five years.*
>
> *b. In how many cases prosecutions have been launched.*
> *c. In how many cases the offenders have been convicted.*
> *d. In how many cases penalty and environmental compensation have been imposed.*
>
> *e. In how many cases vehicles were confiscated.*

f. In how many cases penalty and compensation have been recovered from the offenders in accordance with the directions given by this Tribunal. (4)

The Joint Committee may also look into the deficiencies observed in prevalent surveillance and monitoring system and to make recommendations for evolving policy and programs for ensuring effective surveillance and monitoring systems in the State to prevent such cases of illegal mining. The Joint Committee shall also consider the issues of (i) fixing accountability of the Forest/Mining/Revenue officers in case of illegal mining for reimbursing the loss suffered by the State and expenses incurred for ameliorating environmental pollution/degradation caused due to their inaction, negligence or dereliction of their duties and (ii) taking of departmental and penal action against Police officers for inaction, negligence or dereliction of duty in taking prompt action on receipt of complaints regarding illegal mining and make recommendations in this regard for implementation by the concerned Departments of the State Government. The report may be furnished within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

8. In pursuance of the directions passed by Hon'ble Tribunal the State Level Committee is constituted vide order dated 25/11/2022. The copy of the order dated 25/11/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-3**

9. The Principal Secretary, State Government of Madhya Pradesh, Department of Mineral Resources vide letter dated 30/11/2022 has duly informed the Learned Registrar General, Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench At New Delhi that as per in compliance of the Hon'ble Tribunal the meeting of the State Level Committee is scheduled on 16/12/2022 for taking necessary step as per the directions of the Hon'ble Tribunal. The copy of the letter

dated 30/11/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXUR RR-4** (5)

10. The Director of Geology and Mines Madhya Pradesh vide letter dated 30/11/2022 informed the members that the State Level Committee meeting is scheduled on 16/12/2022. The copy of the letter dated 30/11/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXUR RR-5**

11. It is therefore most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the compliance on record and after its kind perusal may close the original application, in the imminent interest of justice.

12. An affidavit in support is filed herewith.

(SACHIN K. VERMA)
COUNSEL FOR STATE OF MP

BHOPAL (M.P.)
DATED: 06/12/2022

(6)

NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

O.A. NO. 462/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT: Dashrath Singh Parihar

//VERSUS//

RESPONDENT: State of Madhya Pradesh & Ors.

AFFIDAVIT

I, Prem Prakash Rai, Aged about 46 years, S/o Late ShriP.N Rai, posted as Mining Officer Bhopal, O/o Directorate of Geology and Mining 29A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.),do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I have been appointed as Officer In-charge to represent this case on behalf of Department of Mineral Resource & Directorate of Mines & Geology,and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

2 The accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. The contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

NOTARY BHARAT SINGH TOMAR DISTT. BHOPAL M.P REG. NO ...-09/18/02/21 ...2021 VALID-18/07/25 GOVT. OF M.P.(INDIA)

DEPONENT

VERIFICATION

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 6th day of DECEMBER 2022 at Bhopal (M.P)

DEPONENT

IDENTIFIED BY

NAME Harshila Tejwani

ADDRESS

SIGNATURE

SWORN BEFORE ME THE WITHEN NAMED

6/12/22 Sr. 276

BHARAT SINGH TOMAR

NOTARY & ADVOCATE

BHOPAL M.P. INDIA

ANNEXURE RR-1

(7)

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021 (द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वर्षो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जबलपुर	जबलपुर	350	0	0	324	179	0	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
2		कटनी	53	0	0	43	43	1	43	43	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
3		छिन्दवाड़ा	144	0	0	123	14	0	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
4		बालाघाट	123	0	0	121	2	0	121	2	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
5		नरसिंहपुर	60	1	1	30	4	3	30	4	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
6		सिवनी	125	9	0	125	19	0	114	16	---
7		मंडला	233	2	0	227	0	2	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
8		डिण्डौरी	111	0	0	111	11	0	0	0	---

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021(द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वर्षो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	सागर	सागर	39	0	0	37	6	6	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
10		दमोह	58	0	0	58	0	0	0	0	---
11		पन्ना	163	0	0	0	0	0	163	0	---
12		छतरपुर	389	0	0	262	104	3	104	104	---
13		टीकमगढ़	51	0	0	38	2	0	2	2	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
14		निवाड़ी	34	0	0	16	4	0	4	4	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।

[illegible] नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021(द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वषो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	रीवा	रीवा	129	0	0	129	8	0	8	8	---
16		सीधी	35	0	0	35	0	0	0	0	
17		सिंगरौली	186	0	0	184	13	1	0	13	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
18		सतना	95	0	0	65	5	0	5	5	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
19	शहडोल	शहडोल	166	15	0	132	10	2	8	10	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
20		अनूपपुर	254	13	0	233	233	1	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
21		उमरिया	324	0	0	244	147	3	244	147	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021 (द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वर्षो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	भोपाल	भोपाल	50	1	0	31	6	0	0	6	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
23		सीहोर	316	0	0	316	24	7	24	24	---
24		रायसेन	97	0	0	97	0	0	0	0	---
25		राजगढ़	87	0	0	87	4	0	0	0	---
26		विदिशा	120	0	0	120	10	9	0	0	---
27	नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	432	0	0	373	220	2	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
28		हरदा	57	0	0	27	0	0	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
29		बैतूल	60	9	0	43	10	2	23	9	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021(द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वर्षो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	इन्दौर	इन्दौर	56	0	0	56	4	0	0	0	---
31		धार	175	0	0	162	10	0	0	10	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
32		खण्डवा	66	0	0	66	4	0	0	0	---
33		बुरहानपुर	36	0	0	36	2	0	0	0	---
34		खरगौन	122	0	0	122	4	6	0	4	---
35		बड़वानी	188	43	0	188	18	1	0	18	---
36		झाबुआ	35	0	0	35	4	0	3	3	---
37		अलीराजपुर	72	0	0	72	20	4	0	2	---

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021(द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वर्षो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38		उज्जैन	124	0	0	3	3	13	0	0	---
39		देवास	82	0	0	82	77	0	0	9	---
40		मंदसौर	130	0	0	130	0	2	0	2	---
41	उज्जैन	नीमच	84	0	0	82	7	3	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
42		रतलाम	222	0	0	122	32	0	32	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
43		शाजापुर	85	5	0	70	15	0	0	0	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
44		आगर मालवा	41	0	0	41	4	1	0	0	---

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021 (द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में जानकारी (13)

क्र.	संभाग	जिला	विगत 05 वर्षो में संज्ञान में आये अवैध उत्खनन के प्रकरणों की संख्या	ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट		खनिज नियम			एनजीटी		रिमार्क
				कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये	कितने प्रकरण ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया	कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में पर्यावरण में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा अधिरोपित किया गया	कितने प्रकरणों में वाहन राजसात किए गए	एनजीटी के निर्देश के पालन कितने प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया।	एनजीटी के निर्देश के पालन में कितने प्रकरणों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति मुआवजा वसूल किया गया।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ग्वालियर	ग्वालियर	76	0	0	25	25	0	25	2	शेष प्रकरण सक्षम न्यायालय में लंबित।
46		गुना	64	0	0	64	8	4	5	5	---
47		अशोक नगर	48	0	0	48	0	0	0	0	---
48		शिवपुरी	120	0	0	120	24	0	0	0	---
49		दतिया	32	0	0	32	15	0	24	15	---
50	चंबल	भिण्ड	63	0	0	63	16	3	0	0	---
51		मुरैना	108	14	0	108	0	0	0	0	---
52		श्योपुरकला	12	0	0	12	0	0	0	0	---
योग			6382	112	1	5370	1370	79	982	467	

नोट :- माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा डबलू पी. (सिविल क्रमांक 114/2014 (कॉमन काज विरूद्ध भारत सरकार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.08.2017 में दिये गये निर्देश के पालन में संचालनालय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 14.05.2019 से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूल किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

ANNEXURE KR-2

(14)

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक- 16.08.2022

क्रमांक- 3523/777855/2022/12/1:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बैंच में दायर ओ.ए. (ओरिजनल एप्लीकेशन) कमांक 462/2021 (द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के बिन्दु कमांक - 4 में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

"4. In view of the observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to direct the Director, Mining and Geology Directorate, Madhya Pradesh, DFO and District Magistrate, Shivpuri to prepare an action plan for reclamation of illegally mined area and disposal of over burden by making its proper use for land filling as may be possible in the area concerned and to execute such action plan within a period of three months. The action plan shall also include appropriate afforestation and proper landscaping. Action Taken Report with copy of Action Plan and details of action taken for implementation thereof may be furnished within four months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF / OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.".

उपरोक्त निर्देशों के अनुकम में जिला शिवपुरी अंतर्गत अवैध खनन क्षेत्र के पुर्नद्धार एवं निस्तारण के लिये कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (अपर कलेक्टर / संयुक्त कलेक्टर से अनिम्न नहीं)
2. वन मंडलाधिकारी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (वन) से अनिम्न नहीं)
3. श्री अनूप मिश्रा, उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) से अनिम्न नहीं)
5. क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला ग्वालियर/गुना द्वारा नामांकित प्रतिनिधि

15

उक्त समिति माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में दिनांक 31.08.2022 तक परीक्षण / निरीक्षण प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध करायेगी।

(प्रकाश पन्द्रे)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृष्ठ. क्रमांकः– 3524/777855/2022/12/1 भोपाल, दिनांकः– 16.08.2022

प्रतिलिपिः–

1. संचालक (प्रशासन तथा खनिकर्म), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
3. वन मंडलाधिकारी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
5. श्री अनूप मिश्रा, उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. क्षेत्रीय प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला ग्वालियर/गुना, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

Office of the Director Geology & Mining
Madhya Pradesh

D:\ORDER 2\ORDER 2.DOCX

(16)

ANNEXURE RR-3

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25/11/2022

क्रमांकःएफ 19–63/2022/1/4 ::राज्य शासन एतद् द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच द्वारा ओ.ए.(ओरिजनल एप्लीकेशन) क्रमांक 462/2021 द्वारा दशरथ सिंह परिहार विरूद्व मध्यप्रदेश शासन में पारित निर्णय दिनांक 26–07–2022 के अनुक्रम में प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एंव भंडारण की रोकथाम हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय. समिति का गठन करता हैः

1	प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,परिवहन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
7	महानिदेशक, पुलिस द्वारा नामित अधिकारी जो महानिरिक्षक स्तर से अनिम्न न हो।	सदस्य
8	महानियंत्रण, भारतीय खान ब्यूरो या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
9	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश।	सदस्य सचिव

समिति का कार्य क्षेत्र एवं टी.ओ.आर. निम्नानुसार होगा:–

1. जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स के कार्यो की समीक्षा।
2. राज्य शासन स्तर पर प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही की समीक्षा।
3. विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन/क्रियान्वयन की समीक्षा।
4. अंतर्विभागीय मामलों से संबंधित प्रकरणों के समन्वय की समीक्षा।
5. अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के मामलों की निम्न बिंदुओं पर समीक्षा:–
   (a) दर्ज अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के प्ररकणों की समीक्षा।
   (b) दोषियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की समीक्षा।
   (c) दोषियों को कारावास की सजा के संबंध में समीक्षा।

निरंतर.........(2)

17

(d) किये गये अधिरोपित अर्थदण्ड तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि जमा होने की समीक्षा।

(e) वाहनों को राजसात करने के संबंध में समीक्षा।

(f) न्यायालय/ट्रिब्युनल के निर्देशो के अनुकम में दोषियों पर अधिरोपित अर्थदण्ड व क्षतिपूर्ति की वसूली की समीक्षा।

(g) वर्तमान Survellance व Monitoring तंत्र को प्रभावी बनाये जाने के लिये अनुशंसा।

(h) अवैध उत्खनन के मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना और उनके विरूद्ध दांडिक व विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करना।

उपरोक्तानुसार राज्य शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक तीन माह में की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(माधवी नागेन्द्र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 19–63/2022/1/4 भोपाल, दिनांक 25/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल,
3. खनिज साधन विभाग की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।
4. अवर सचिव (स्थापना),मध्यप्रदेश शासन की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश को सामान्य प्रशासन की वेबसाइड मे अपलोड करने का कष्ट करें।
5. उपसंचालक जनसर्म्पक मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

ANNEXURE RR-4

(18)

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 416/DGM/Steno/22 भोपाल, दिनांक 30/11/22

प्रति,

रजिस्ट्रार,
माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
J69J+F7X, Faridkot House,
Copernicus Marg, near India Gate,
New Delhi 110001

विषय : माननीय एनजीटी द्वारा ओ.ए. क्रमांक 462/2021 (दशरथ सिंह परिहार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के संबंध में।

माननीय एनजीटी द्वारा ओ.ए. क्रमांक 462/2021 (दशरथ सिंह परिहार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के पालन में राज्य स्तरीय समिति का गठन संबंधी आदेश दिनांक 25.11.2022 (प्रति संलग्न) को जारी किया गया है एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 को नियत की गई है (प्रति संलग्न)। कृपया माननीय ट्रिब्यूनल को अवगत करानें हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Mehrish

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
खनिज साधन विभाग

ANNEXURE RK-5

(19)

कार्यालय
संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश
29-ए, ''खनिज भवन'', अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स : 0755-2551795
E-mail : dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक /खनिज/विविध/न.क्र. 67/2022 भोपाल, दिनांक

प्रति,

1. महानिदेशक
पुलिस
पुलिस मुख्यालय
भोपाल

2. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

3. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

4. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

5. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

6. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

7. महानियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर

विषय : माननीय एनजीटी द्वारा ओ.ए. क्रमांक 462/2021 (दशरथ सिंह परिहार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के संबंध में।

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 के पालन में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.11.2022 से गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 को आयोजित की जानी है, स्थान एवं समय की सूचना पृथक से सूचित की जायेगी।

अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 25.11.2022 अनुसार आप स्वयं अथवा आपके द्वारा नामित अधिकारी/प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित रहने हेतु अनुरोध है।

संलग्न : मा. एनजीटी का आदेश दिनांक 26.07.2022,
विगत पाँच वर्षो में प्रदेश में पंजीबद्ध अवैध उत्खनन,
परिवहन, भण्डारण के आंकडे, प्रेजेन्टेशन

संचालक
प्रशासन एवं खनिकर्म

(20)

पृ.क्रमांक 16479-80/खनिज/विविध/न.क्र. 67/2022 भोपाल, दिनांक 30/11/22

प्रतिलिपि:-

1) रजिस्ट्रार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, J69J+F7X, Faridkot House, Copernicus Marg, near India Gate, New Delhi 110001

2) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।

30/XI/22

संचालक

प्रशासन एवं खनिकर्म